न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 141/2024 निर्णय दिनांक 18.11.2024
जीसीएमएस नम्बर 2024/302

गजाराम पुत्र सुरजाराम जाति खाती निवासी ग्राम रीड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
—वादी—

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर 2. फुसी पत्नी सुरजाराम जाति खाती निवासी ग्राम रीड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर 3. भैराराम पुत्र सुरजाराम जाति खाती निवासी ग्राम रीड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
—प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री मोहननाथ सिद्ध अभिभाषक वादी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।
3. श्री के. के. पुरोहित अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 2 ता 3 की ओर से

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व धारा 136 एलआर एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि श्रीमान्जी वादी की ओर से दावा निम्न प्रकार से सादर प्रस्तुत है। वादी की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 1078 तादादी 8.7400 हैक्टेयर बारानी वाके रोही ग्राम रीड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में अवस्थित है। वादी के पहचान एवं निवास संबंधि दस्तावेजों यथा आधार कार्ड. पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, राशन कार्ड, ई—शर्म कार्ड व भामाशाह कार्ड में वादी का सही व शुद्ध नाम गजाराम अंकित चला आ रहा है। वादगत खेत की खातेदारी वादी के पिता के नाम चली आ रही थी । वादी के पिता के स्वर्गवास के पश्चात हल्का पटवारी ने ग्राम के ही मौजिज व्यक्तियों से पुछताछ कर वादी का गांव में बोलता नाम गजानन्द दर्ज कर दिया जबकि वादी के पहचान के उक्त सभी दस्तावेजों में सही नाम गजाराम दर्ज है। वादी को वादगत खेत की राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित जमाबंदी दिनांक 10.07.2024 लेने पर जानकारी हुई कि वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप में दर्ज चला आ रहा है। जबकि वादी की पहचान व निवास संबंधि उक्त सभी दस्तावेज में वादी का नाम गजाराम ही दर्ज है। वादगत खेत खसरा नंबर 1078 तादादी 8.7400 हैक्टेयर में वादी का 1/3 संयुक्त हिस्सा की कृषि भूमि पर कब्जा काश्त एवं उपयोग—उपभोग वादी का ही चला आ रहा है । वादगत खसरा की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी अपना सही नाम गजाराम अंकित करवाने का कानूनन अधिकारी है । वादगत भूमि में वादी का गलत नाम गजानन्द अशुद्ध रूप में अंकित होने के कारण वादी को कृषि भूमि सुधार हेतू कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वादगत खसरा भूमि में वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकित कर दिया है इस बाबत वादी ने दिनांक 10.07.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 से निवेदन किया है कि मेरा नाम गजाराम है जिसकी जगह लिपिकिय भूलवश राजस्व रिकॉर्ड में गजानंद अंकित हो गया है। इसलिए गजानंद की जगह गजाराम अंकित किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 ने नाम सही दर्ज करने से इन्कार कर दिया व कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ, बिना आदेश राजस्व रिकॉर्ड में आपका नाम सही अंकित करना व शुद्धिकरण करना संभव नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम संशोधन होने से प्रतिवादी व गौण प्रतिवादी के हितों पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा जबकि इसके विपरीत वादी का नाम संशोधन नहीं होने से वादी को अपूर्णीय क्षति होगी । वादी के पास वादगत खेत के राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम गजाराम दर्ज करवाने के लिए घोषणा की डिक्री के अलावा अन्य कोई अन्तोष नहीं है। वादगत खेत वादी की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त होने के कारण वादी के पक्ष में प्रतिवादी वादाधार हासिल है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 10.07.2024 को वादगत खेत के राजस्व रिकॉर्ड में सही

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.11.25 15:34:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

नाम दर्ज नहीं करने से वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ वादहेतु हासिल है। गौण प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को आवश्यक पक्षकार होने की वजह से दावा में पक्षकार संयोजित किया गया है। इनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाह गया है । वाद डिक्री फरमाया जाता है तो गौंण प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के हितों पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। वादी द्वारा प्रस्तुत घोषणात्मक दावा में राजस्थान सरकार आवश्यक पक्षकार है, राजस्थान सरकार को पक्षकार बनाने से पूर्व धारा 80 सीपीसी के तहत दो माह पूर्व का नोटिस दिया जाना आवश्यक है । वादी का दावा अर्जेन्ट नेचर व तुरन्त अनुतोष प्राप्ती का होने के कारण धारा 80 (2) सिविल प्रक्रिया संहिता प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत कर न्यायालय की अनुमति से दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। वादगत खेत रोही ग्राम रीड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित होने से यह दावा श्रीमान् जी के श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार का है, जो पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः—

(क) कि घोषित किया जावे कि वादगत खेत खसरा नंबर 1078 तादादी 8.7400 हैक्टेयर बारानी वाके रोही ग्राम रीडी के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम गजानंद की जगह गजाराम घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉड में अंकन किया जावे।

(ख) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो या दौराने दावा हो जाये वह भी वादी को प्रतिवादी संख्या 1 से दिलवाया जाये ।

(ग) कि खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी संख्या 1 से दिलवाया जाये ।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर इकबाली जवाबदावा पेश किया। स्टेट की ओर से जवाबदावा पेश किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में प्रतिवादीगण को वादी वाद स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नंबर 1078 तादादी 8.7400 हैक्टेयर बारानी वाकेरोही रीडी तहसील श्रीडूंगरगढ के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम गजानंद की जगह गजाराम घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.11.25 15:34:03 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल आरएएस

उनवान

गजाराम पुत्र सुरजाराम जाति खाती निवासी ग्राम रीड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर 2. फुसी पत्नी सुरजाराम जाति खाती निवासी ग्राम रीड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर 3. भैराराम पुत्र सुरजाराम जाति खाती निवासी ग्राम रीड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

मुकदमा नम्बर 141/2024
दावा बाबतः घोषणात्मक व रिकॉर्ड दुरूस्ती
निर्णय दिनांकः 18.11.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री मोहननाथ सिद्ध अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व श्री के.के.पुरोहित अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 की ओर से, व पैरोकारराज स्टेट की ओर से मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **कि खेत खसरा नंबर 1078 तादादी 8.7400 हैक्टेयर बारानी वाकेरोही रीडी तहसील श्रीडूंगरगढ के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम गजानंद की जगह गजाराम घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।**

लीज....0.....मुबलिग.....0.....बाबत.....0.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी.....तारीख वसूलयाबी.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 18 माह 11 सन् 2024 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.11.25 15:34:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्री डूंगरगढ (बीकानेर)